

170

Doc. No. CD-535/85.

RASHTRAPATI BHAVAN  
NEW DELHI.

Dated 31st July, 1985.  
9 Sravana, 1907(S).

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and seventieth Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, -

(i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (KRISHI AUR GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHAKARITA VIBHAG)", in Part IV "General and Consequential", after entry 42, the following entry shall be inserted, namely:-

"42 A. National Land Use and Conservation Board.";

(ii) under the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF POSTS", in entry 3, for the words and brackets "and Post Office Life Insurance Fund (Administration)", the words and brackets "Post Office Life Insurance Fund (Administration) and Broadcast Receiver Licences" shall be substituted;

(iii) under the heading "MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF FORESTS AND WILD LIFE (VAN AUR VANY, JEEV VIBHAG)", after entry 6, the following entries shall be inserted, namely:-

"7. National Land use and Wastelands Development Council.

8. National Wastelands Development Board.";

(iv) under the heading "DEPARTMENT OF SPACE (ANTARIKSH VIBHAG)", after entry 9, the following entry shall be inserted, namely:-

"10. All matters relating to the National Natural ..

: 2 :

Resources Management System including the  
generation of integrated data mainly based on  
remote sensing and assistance in the analysis  
and dissemination of such information."

ZAIL SINGH  
PRESIDENT

....

राष्ट्रपति भवन,  
नई दिल्ली ।

तारीख, 31 जुलाई, 1985

9 भावण, 1907.

### अधिसूचना

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार कारबार का आबंटन नियम, 1961 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. §1§ इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार कारबार का आबंटन संसदीय सत्तरवां संशोधन नियम, 1985 है ।

§2§ ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार कारबार का आबंटन नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में, —

§i§ शीर्षक "कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय" के अधीन, उप-शीर्षक "क-कृषि और सहकारिता विभाग" के अधीन, भाग-4 "साधारण और पारिणामिक" में, प्रविष्टि 42 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"42क- राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड";

§ii§ शीर्षक "संचार मंत्रालय" के अधीन, उप-शीर्षक "क- डाक विभाग" के अधीन, प्रविष्टि 3 में, "और डाकघर जीवन बीमा निधि प्रशासन" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "डाकघर जीवन बीमा निधि प्रशासन और प्रसारण ग्राही अनुज्ञापितियां" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

§iii§ शीर्षक "पर्यावरण तथा वन मंत्रालय" के अधीन, उपशीर्षक "ख- वन और वन्य जीव विभाग" के अधीन, प्रविष्टि 6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"7- राष्ट्रीय भूमि उपयोग और बंजर भूमि विकास परिषद ।

8- राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड । ;

॥iv॥ शीर्षक "अन्तरिक्ष विभाग" के अधीन, प्रविष्टि 9 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"10- राष्ट्रीय प्राकृतिक सम्पदा प्रबन्ध प्रणाली से संबंधित सभी विषय जिसके अन्तर्गत सुदूर सुग्राह्यता पर मुख्य रूप से आधारित समेकित आंकड़ों को तैयारो और ऐसी जानकारी के विश्लेषण और प्रसारण में सहायता भी है ।"

॥जैल सिंह॥  
राष्ट्रपति